समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / Volunters / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1557 दिनांक : 14/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
वॉलिंटियर्स (Volunteers) का चिह्निकरण कार्य एवं प्रशिक्षण

प्रस्तावना :–

प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियो में नवाचारों को दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित किये जाने का कार्य शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओ में है। शिक्षको के सामने सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों की नियमित शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना एवं कक्षा स्तर से कम अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों को कक्षा अधिगम स्तर तक लाना एवं नवाचारों के अवसरों को प्राप्त करना है, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास को बल मिल सके। इसके लिए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कुछ वैकल्पिक सुविधाओं की शुरुआत भी की गई है जैसे कि–स्माइल, आओं घर में सीखे, मिशन समर्थ, शिक्षा वाणी (रेडियो कार्यक्रम), शिक्षा दर्शन (दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम), लर्निंग बेस्ड वर्कशीट्स (हिंदी, इंग्लिश, गणित), वीडियो कालिंग, व्हाट्स एप्प ग्रुप बनाकर वीडियो लिंक साझा करना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को कॉलिंग करना, गृहकार्य देकर जाँच करना, मीना / राजू की कहानियाँ, अम्माजी कहती थी कहानी इत्यादि।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को मजबूत करने एवं सकारात्मक सहयोग करने के लिए शिक्षकों के साथ वॉलिंटियर्स के कई प्रभावी अनुभव सामने आये हैं। वॉलिंटियर सदस्य – जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ जुड़े रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक–बालिकाओ के सीखने की प्रक्रिया एवं उनके आत्मविश्वास में कमी ना आने पाये।

इस अनुभव और इसकी प्रासंगिकता से सीखते हुए समुदाय के सेवाभावी दक्ष युवा और अनुभवी बुजुर्ग व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों आदि को वॉलिंटियर्स के रूप में शामिल करने के लिए एक नयी पहल शुरू की जा रही है। **वॉलिंटियर्स के रूप में उनका लाभ विद्यार्थियों के सर्वांगीण उन्नयन में लेने की योजना पर सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।**

इन वॉलिंटियर्स को कैरियर, मार्गदर्शन, माता–पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, एसएमसी / एसडीएमसी के साथ बातचीत, बालक–बालिकाओं की गृह कार्य की छोटी–छोटी समस्याओं को शिक्षक तक पहुंचाने जैसे विषयो पर संवाद शुरू करने जैसे

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

पहलुओं पर उन्मुख किया जाएगा। सकारात्मक व्यवहार, जेंडर, बाल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षित कर वॉलिंटियर्स को अधिक उपयोगी बनाया जायेगा।

वॉलिंटियर्स को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गये अधिक कमजोर विद्यार्थियों को अपना सहयोग देने के लिए तैयार और उन्मुख किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि यह पहल समुदाय/विद्यालयों/शिक्षकों/माता–पिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नजदीक लायेगी और एक सकारात्मक भागदारी से आगे बढ़ने की पहल होगी।

इन सभी प्रयासों का फील्ड पर असर तभी प्रभावी हो सकता है जब इन सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन समय–समय पर सुनियोजित तरीके से हो। ग्राम स्तर पर गाँव के बहुत से शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवा अपने गांवों में नवाचारों और सुधारों को लागू करवाना चाहते है, इस हेतु उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा मंच की आवश्यकता होती है। अतः सामुदायिक वॉलिंटियर एक ऐसा शिक्षित वर्ग है जो **निस्वार्थ भाव** से लोगों की मदद करते हैं तथा सामाजिक समानता तथा जनहित के कार्यों में रूचि लेते है। वॉलिंटियर्स द्वारा कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, होम आइसोलेशन, कोविड–19 के बचाव हेतु दो गज दूरी की पालना करवाना, लोगों को मास्क वितरण और विद्यार्थियों की घर पर पढ़ाई–लिखाई में मदद की है तथा ऐसे अवसरों पर सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। सामुदायिक वॉलिंटियर को संगठित करने की जरूरत है जिससे वह विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करें और उनका मनोबल बढ़ायें जिससे विद्यार्थी अपनी नियमित शिक्षा से वंचित ना रहें। अतः वॉलिंटियर एक ऐसा वर्ग हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

वर्ष 2024–25 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 51977 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 317.0597/– लाख व 17424 उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 106.2864/– लाख का प्रावधान है। 640 रू प्रति विद्यालय बजट को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाना है–

- **30 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग राज्य स्तर पर मॉड्यूल अपडेशन एवं केआरपी प्रशिक्षण में किया जाना है।
- **25 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा केआरपी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले केआरपी के टीए/डीए एवं आरपी प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। केआरपी एवं आरपी प्रशिक्षक का मानदेय 250 रू से कम व 400 रू से अधिक नही होना चाहिये।
- **शेष 585 ₹ प्रति विद्यालय** की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण हेतु किया जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

उद्देश्य–

- गाँव/विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में विद्यार्थियों की शिक्षा निरन्तर रखने में सहयोग करना एवं विद्यार्थियों के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना।
- विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाये रखने में अध्यापक को सहयोग करना, भेदभाव रहित शिक्षा का सकारात्मक वातावरण स्थापित करने में सहयोग करना।
- **शाला प्रबंधन समिति** के सदस्यों को के साथ मिलकर गाँव/विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।

वॉलिंटियर्स की भूमिका निम्नानुसार है:–

- शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।
- विद्यार्थियों का कक्षाओं से नियमित जुड़ाव बनाये रखने में सहयोग प्रदान करना।
- ड्राप–आउट दर को रोकने, नामाकंन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- समुदाय का एसएमसी/एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रयास करना।
- विद्यालय में बालक–बालिकाओं को शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग हेतु अध्यापक से वार्ता करना।
- विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना।

रूपरेखा –

वॉलिंटियर्स (Volunteers) का चिह्निकरण –

सभी क्षेत्र से वॉलिंटियर्स की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका/संस्थाप्रधान/ वार्ड पंच/सरपंच/CBEOs आदि का सामुहिक उत्तरदायित्व होगा। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलिंटियर्स का चिह्निकरण किया जायेगा, जिसमें साक्षर वॉलिंटियर, सेवानिवृत शिक्षक, पूर्व सैनिक, जिला/राज्य स्तरीय खिलाड़ी, GNM/ANM प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, BEd/DElEd प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, डिप्लोमाधारी व्यक्ति, सेवानिवृत सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी/अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किये हुये पूर्व विद्यार्थी, शिक्षाविद्, इंजीनियर, डॉक्टर/आयुर्वेदिक डॉक्टर एवं अधिवक्ता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

वॉलिंटियर (Volunteer) कौन हो सकते हैं–

- स्थानीय निवासी अथवा जहाँ अध्ययन, रोजगार के लिये जहॉ निवास कर रहा हो वह वॉलिंटियर का कार्य करेगा।
- वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के लिए प्रतिदिन 2–3 घंटे का समय दे सके।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST

- जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो और सकारात्मक सोच रखता हो।
- वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो और सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गांव के युवा जो समुदाय से जुड़ाव रखते हों।
- वह व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में शामिल ना हो/नशा आदि न करता हो एवं जिसका स्थानीय समुदाय से जुड़ाव हो।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) के कार्य निम्न प्रकार हैं–

- विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण मिले इस हेतु वे अभिभावकों से चर्चा कर अध्यापकों तक विद्यार्थियों की समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करना।
- गाँव/समुदाय/विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर विद्यार्थियों की शिक्षा नियमित रहे और विद्यार्थी बीमारियों से बचे रहे इसको लेकर एसएमसी/एसडीएमसी के साथ समन्वय बनाना।
- सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य करना।
- अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करना।
- विद्यार्थियों की अधिगम से सम्बन्धित समस्याओं को पहचान कर उसका शीघ्राति शीघ्र समाधान करने का प्रयास करना।
- बालक–बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यो में आ रही समस्याओं को माता–पिता, SMC/SDMC एवं शिक्षकों तक पहुँचना।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम–

- **क्षमता/कौशल के क्षेत्र में** – शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किये गए मॉड्यूल के आधार पर चिह्नित किये गए प्रेरकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- **प्रेरणा/सम्मान–** समय–समय पर विद्यालय आधारित कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस/गाँधी जयंती/योग दिवस आदि के दौरान वॉलिंटियर्स को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
- **शालादर्पण पोर्टल पर वालंटियर्स का डेटाबेस तैयार करना–** वॉलिंटियर्स के डेटा को स्टोर करने और वॉलिंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद हेतु शालादर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें विद्यालय में संचालित गतिविधि पर आधारित सूचको के माध्यम से डेटा दर्ज किया जायेगा।

✓ समय–समय पर वॉलिंटियर्स का डेटा संकलित/अपडेट करना।

✓ फील्ड की अच्छी और सकारात्मक बदलाव की सफल एवं प्रेरक कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जायेगा।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

✓ वॉलिंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण किट पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
✓ उक्त डेटा की फीडिंग पीईईओ स्तर से की जानी है।

वॉलिंटियर्स (Volunteers) का प्रशिक्षण मॉड्यूल – वॉलिंटियर्स (Volunteers) को राज्य स्तर पर तैयार किये गये मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। इन वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवसीय गैर–आवासीय (विद्यालय स्तर) पर प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे विद्यालयों के विकास में कुशलता से योगदान कर सकें और एक वॉलिंटियर के रूप में उनकी भूमिका पर समझ विकसित कर सकें। प्रत्येक विद्यालय इस उद्देश्य के लिए 10 से 20 वॉलिंटियर्स को शामिल कर सकता है। इसके लिए राज्य स्तर पर वालंटियर्स के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है। विद्यालय वॉलिंटियर्स की प्रगति पर नियमित अपडेट लेंगे, अच्छी सकारात्मक बदलाव की सफल प्रेरक कहानियों और अनुभवों की पहचान करेंगे और उन्हें पोर्टल पर रिपोर्ट के माध्यम से साझा किया जायेगा।

- **मुख्य संदर्भ व्यक्ति (KRP)**– राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी ही वॉलिंटियर्स (Volunteers) के प्रशिक्षण हेतु केआरपी का कार्य कर सकेगें तथा आवश्यकतानुसार अन्य केआरपी का भी चिह्निकरण किया जा सकेगा।
- **ब्लॉक स्तर पर सन्दर्भ व्यक्तियों (RP) के प्रशिक्षण**– राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त ब्लॉक स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किये गये सन्दर्भ व्यक्ति ही विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित करेंगे।
- **विद्यालय स्तर पर वॉलिंटियर्स (Volunteers) का प्रशिक्षण**– विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वालंटियर्स के चिह्निकरण उपरान्त वॉलिंटियर्स के लिए **एक दिवसीय प्रशिक्षण** का आयोजन **माह सितम्बर–अक्टूबर 2023 में** किया जायेगा। जिसमें सभी चिह्नित वॉलिंटियर भाग लेगें। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिये ₹ 585 रूपये का प्रावधान रखा गया है।
- **सन्दर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति**– जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी, परन्तु नियुक्त सन्दर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित सन्दर्भ व्यक्ति (RP) को नियुक्त किया जायेगा जिससे प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 संभागियों के लिए एक सन्दर्भ व्यक्ति लगाया जायेगा।

जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व–

1. टाइमलाईन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न कराना।
2. निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा–निर्देश समय रहते विद्यालय स्तर तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करना।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

3. जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु CBEO को CBEO द्वारा सम्बन्धित PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशो के साथ लिमिट जारी करना।
4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन कर सुनिश्चित करना।
5. उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व–

1. जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके विद्यालयवार सन्दर्भ व्यक्ति की नियुक्त करना व विद्यालयों को अनुमोदित राशि की लिमिट जारी करना।
2. निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा–निर्देश की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करना।
3. प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
4. प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थित पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
5. प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त दस दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
6. जिला कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

संस्था प्रधान के दायित्व–

1. जिला परियोजना/सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना।
2. चिह्नित वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में/उचित माध्यम से **कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व** दिया जाना सुनिश्चित करेगें।
3. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. प्रशिक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण कराना यथा बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
6. प्रशिक्षण मॉडयूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
7. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा चाय–नाश्ता, सन्दर्भ व्यक्ति को मानदेय आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में **नहीं** करना है।
8. प्रशिक्षण समाप्ति के **तीन दिवस में सूचना** प्रतिवेदन मय फोटो एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराना।

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

व्यय प्रावधान–

वॉलिंटियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति विद्यालय प्रावधित राशि ₹ 585 है। जिसके व्यय का विभाजन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	दिवस	दर
1	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय .	1	300 ₹
2	चाय–नाश्ता	1	200 ₹
4	अन्य विविध व्यय	1	85 ₹
कुल		**1**	**585** ₹

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रावधान 2024–25 के अनुसार जिलावार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

<u>अति महत्वपूर्ण नोट–</u> वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण का आयोजन दिसम्बर, 2024 तक सम्पन्न कर जनवरी, 2025 तक शत प्रतिशत प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / Volunters / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1557 दिनांक : 14/6/2024

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7670460

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved

Volunteers Training

परिशिष्ट–1

Physical and Financial Target of Districts 2024-25

(Rs. in Lakh)

SN.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @ 610 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sr. Sec. Schools *	Per School @ 610 Rs.	Total School (Ele+ Sr.Sec.)	Per School @ 610 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	1264	7.7104	613	3.7393	1877	11.4497
2	ALWAR	1966	11.9926	886	5.4046	2852	17.3972
3	BANSWARA	2806	17.1166	521	3.1781	3327	20.2947
4	BARAN	1262	7.6982	331	2.0191	1593	9.7173
5	BARMER	3908	23.8388	958	5.8438	4866	29.6826
6	BHARATPUR	1190	7.259	593	3.6173	1783	10.8763
7	BHILWARA	2276	13.8836	631	3.8491	2907	17.7327
8	BIKANER	1549	9.4489	575	3.5075	2124	12.9564
9	BUNDI	976	5.9536	291	1.7751	1267	7.7287
10	CHITTAURGARH	1389	8.4729	439	2.6779	1828	11.1508
11	CHURU	857	5.2277	592	3.6112	1449	8.8389
12	DAUSA	1145	6.9845	439	2.6779	1584	9.6624
13	DHAULPUR	837	5.1057	306	1.8666	1143	6.9723
14	DUNGARPUR	2284	13.9324	453	2.7633	2737	16.6957
15	GANGANAGAR	1441	8.7901	513	3.1293	1954	11.9194
16	HANUMANGARH	680	4.148	434	2.6474	1114	6.7954
17	JAIPUR	2671	16.2931	1121	6.8381	3792	23.1312
18	JAISALMER	1065	6.4965	252	1.5372	1317	8.0337
19	JALOR	1434	8.7474	449	2.7389	1883	11.4863
20	JHALAWAR	1353	8.2533	341	2.0801	1694	10.3334
21	JHUNJHUNU	998	6.0878	557	3.3977	1555	9.4855
22	JODHPUR	2784	16.9824	851	5.1911	3635	22.1735
23	KARAULI	1101	6.7161	357	2.1777	1458	8.8938
24	KOTA	768	4.6848	331	2.0191	1099	6.7039
25	NAGAUR	2233	13.6213	855	5.2155	3088	18.8368
26	PALI	1292	7.8812	558	3.4038	1850	11.285
27	PRATAPGARH	1462	8.9182	278	1.6958	1740	10.614
28	RAJSAMAND	1377	8.3997	363	2.2143	1740	10.614
29	SAWAI MADHOPUR	772	4.7092	334	2.0374	1106	6.7466
30	SIKAR	1336	8.1496	684	4.1724	2020	12.322
31	SIROHI	733	4.4713	278	1.6958	1011	6.1671
32	TONK	1142	6.9662	376	2.2936	1518	9.2598
33	UDAIPUR	3626	22.1186	864	5.2704	4490	27.389
Total		**51977**	**317.0597**	**17424**	**106.2864**	**69401**	**423.3461**

RajKaj Ref
7670460

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.14 09:31:21 IST
Reason: Approved